उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 31/2016/1122/92-2-16-04आ0/1994टीसी
लखनऊ :: दिनांक:: 08 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही के कार्यकाल में बरती गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं आदि में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-1390/62-3-99-04आ0/1994टी0सी0, दिनांक 26-05-1999 द्वारा श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही के विरूद्व आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी को जॉच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री राधेश्याम पाण्डेय, अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 30-06-2011 को सेवानिवृत्त हो गये है। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री राधेश्याम पाण्डेय के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या- 31/2016/1122(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री राधेश्याम पाण्डेय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-भदोही सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- अधीक्षण अभियंता/जॉच अधिकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।